

सोपाने

श्रीमान लक्ष्मण अधिकारी महोदय

वित्तीय मन्त्री (राज.)

विभाग - सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एकट 1956 की धारा 136

अनुदान श्री भारती पिता/पति श्री हेमराज  
यनाम

राज्य सरकार जदिये सहरीलदार मस्री

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुदान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री भारती पिता/पति हेमराज निवासी सिरडी का/की हूँ/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का सेमलपुरा के राजस्व ग्राम सेमलपुरा में खाता संख्या 484 किता 1 रकबा 0-6-6 है भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम मगवती दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में भारती दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम मगवती के बजाय भारती दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक / /2025

हस्ताक्षर

भारती

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का सेमलपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भारती पिता/पति हेमराज निवासी सिरडी राजस्व ग्राम सेमलपुरा पटवार हल्का सेमलपुरा की जमाबन्दी प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में भारती दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

मगवती उर्फ भारती कीयाजाना उचित है

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर

2/11/2025

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

दिनांक-11/10/2025

क्रमांक-सू.अ. / 2025 / 15

विषय

सम्मानजनक अधिकारी महोदय,  
चित्तौडगढ

महोदय

विषय है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री आरती पिता/पति हेमराज निवासी राजखर पटवार हल्का खेमलपुरा में जनमनवी संवत् 2078-81 की सम्मानजनक जाति/नाम आरती उर्फ प्रभावती के सजाव नाम खेमलपुरा में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा राजखर रिकार्ड में किया जाना चाहिए। दोनों जातियाँ/नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 42 (बि) का उल्लंघन भी नहीं होता है जब जाति/नाम में संशोधन किया जाना चाहिए।

11/10/25  
तहसीलदार बस्सी भू.अ.  
जिला चित्तौडगढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

दिनांक-11/10/2025

क्रमांक-रीडर / 2025 / 620

विषय

पटवार हल्का खेमलपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री आरती पिता/पति हेमराज राजखर ग्राम खेमलपुरा पटवार हल्का खेमलपुरा की खाता संख्या 484 में जाति/नाम आरती दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंखा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री आरती पिता/पति हेमराज की जाति/नाम आरती उर्फ प्रभावती एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का खेमलपुरा राजखर रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ